

**Bilateral negotiations with All India  
Kendriya Vidyalaya Teachers  
Association**

3361. SHRIMATI SARALA MAH-  
ESHWARI; Will the Minister of HUMAN  
RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to  
state:

(a) whether it is a fact that the Government have been reiterating its ever readiness for bilateral negotiations with Kendriya Vidyalaya Teachers for the last six months;

(b) if so, whether it is a fact that he did not respond to the demand for such negotiations despite the requests of some patron-MPs of All India Kendriya Vidyalayas Teachers Association for the last eight month; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (c) It is correct that the Govt, have reiterated its willingness to discuss the various issues. At different times the representatives of Kendriya Vidyalayas Teachers have met the Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan. On a recent occasion they were accompanied by a Member of Parliament. The Kendriya Vidyalaya Sangathan has activated the Joint Consultative Machinery to resolve the various issues, and has also nominated persons who headed associations of teachers and other employees on the Kendriya Vidyalaya Sangathan and its Board of Governors. It may be reiterated that the Government is always prepared to discuss with the employees any genuine grievance so that reasonable solutions could be arrived at-

**प्रतिव्यक्ति शुल्क को समाप्त किया जाना**

3362. श्री राजभाई ए० परमार :

**श्रीमती सत्या बहिन :**

**डा० येलामनचिवली शिवाजी :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शैक्षिक और इंजीनियरी कालेजों में प्रति व्यक्ति शुल्क को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी व्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अभी तक प्रति व्यक्ति शुल्क समाप्त न किए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् राज्य सरकारों से तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क (केपिटेशन फीस) लेने को रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करती रही है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम में भी तकनीकी शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने हेतु कदम उठाने की व्यवस्था है। तकनीकी शिक्षा संस्थानों में व्यापारीकरण को रोकने के उद्देश्य से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए० आई० सी० टी० ई०) की कार्यकारी समिति ने शिक्षा-शुल्क और अन्य शुल्क लेने के लिए मानदंड और दिशानिर्देश अनुमोदित किए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिए भी दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।